जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत
कोटा
Rashtradoot

कोटा, शुक्रवार 15 अगस्त, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की हवा निकाली

चुनाव आयोग को अब उन 65 लाख मतदाताओं की सूची छापनी होगी, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, तथा चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि, किस कारण से इन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गये थे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अगस्त। बिहार, जहाँ 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटाने को लेकर विवाद चल रहा था, को अचानक राहत मिली है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर सामने आकर अहम कदम उठाते हुए चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है।

- अब तक चुनाव आयोग, इस बात पर अड़ा हुआ था कि कानूनन वह बाध्य नहीं है, उन व्यक्तियों के नाम बताने के लिए जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाये गये हैं, और क्यों हटाये गये हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाये गये हैं, वे अपना आधार कार्ड संलग्न करके, अपना नाम जुड़वाने की अर्जी दे सकेंगे। यह उल्लेखनीय है, क्योंकि अब तक चुनाव आयोग आधार कार्ड को अमान्य बताता रहा है, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने की दृष्टि से।

इसके साथ ही, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर मोदी सरकार के खिलाफ वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) के मुद्दे पर जोरदार मोर्चा खोल रखा है और मानसून सत्र के बड़े हिस्से में संसद नहीं चलने दी।

वोट में हेरफेर कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश ने चुनाव आयोग की भूमिका को उजागर कर दिया है, जो लगातार भाजपा के लिए काम करता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अवकाश की सूचना

राष्ट्रदूत कार्यालय में 15 अगस्त 2025 को अवकाश रहेगा। अतः अगला अंक 17 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगा। -सम्पादक

रिश्वत प्रकरण में बागीदौरा विधायक को जमानत मिली

जयपुर, 14 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा में उठाए गए सवालों को वापस लेने के बदले रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल सहित, तीन अन्य को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश चारों आरोपियों जयकृष्ण पटेल, उससे चचेरे भाई और सहयोगी विजय कुमार सहित, दो अन्य लक्ष्मण सिंह व जगराम मीणा की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए।

किश्तवाड़ में बादल फटा, 52 की मौत और 200 लापता

- कश्मीर के चशोरी गांव में मचैल माता की धार्मिक यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ।
- गुरुवार दोपहर 12.30 बजे बादल फटा, कई लोग पहाड़ से आए पानी व मलबे की चपेट में आ गए। अब तक 42 की मौत की खबर है, 65 को बचा लिया गया है।

किश्तवाड़,14 अगस्त। जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ के चशोटी गांव में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 65 लोगों को बचाया गया है। और करीब 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डुर सब-डिवीजन में चशोटी गांव पहुंचे थे। यह यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा है, जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहां श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थीं। सभी बाढ़ के पानी में बह गए। चशोटी, किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर और मचैल माता मंदिर के रास्ते पर पहला गांव है। यह जगह पड्डुर घाटी में है, जो 14-15 किलोमीटर अंदर की ओर है। इस इलाके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)